

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

(समक्ष:-डी०सी०थपलियाल)

प्र०क्र० 185/2007 विद्युत

संस्थित दिनांक 23-04-2007

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा- ए०के० मिश्रा
कनिष्ठयंत्री म०प्र०म०क्षे०कं०वि०वि० कं०लि०
गोहद ग्रामीण जिला भिण्ड म०प्र०

.....परिवादी

बनाम

सुधरसिंह पुत्र गनपत वघेल, उम्र 43 वर्ष। निवासी
ग्राम पिपरसाना, थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

परिवादी द्वारा श्री अशोक पचोरी अधिवक्ता।

आरोपी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 20-12-2016 को घोषित किया गया)

01. आरोपी का विचारण धारा 135 (1) (क) विद्युत अधिनियम 2003 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है उस पर आरोप है कि दिनांक 26.12.2006 को दिन करीब 02:30 बजे ग्राम पिपरसाना स्थित अपने खेत में अस्थाई 3 एच.पी. के कनेक्शन पर 7.5 एच.पी. की मोटर लगाकर 4.5 एच.पी. का अतिरिक्त भार लगाकर अवैध रूप से विद्युत की चोरी करते पाए गए।

02. परिवादी मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी गोहद के कनिष्ठयंत्री की ओर से वर्तमान परिवादपत्र अंतर्गत धारा 135(1)(क) विद्युत अधिनियम 2003 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि दिनांक 26.12.2006 को 02:30 बजे शाम परिवादी अपने अधीनस्थ स्टाप लाइनमेन उमेश शर्मा एवं लाइन हेल्पर रामौतार के साथ आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए गया था तो निरीक्षण के दौरान पाया कि आरोपी अने अस्थाई 3 एच.पी. के कनेक्शन पर 7.5 एच.पी. की विद्युत मोटर लगाकर 4.5 एच.पी. का अतिरिक्त भार जरिए सिंचाई कर अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। उपरोक्त संबंध में मौके पर पंचनामा साक्षियों के समक्ष तैयार किया गया। आरोपी जो कि मौके पर उपस्थित था उसे

पंचनामा की प्रति दी गई, लेकिन उसने पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आरोपी के द्वारा लाइन के तार और मोटर की जप्ती भी नहीं करने दी। आरोपी जो कि मण्डल का अस्थाई उपभोक्ता था और जिसके द्वारा मात्र 3 एच.पी. का अस्थाई कनेक्शन लिया गया था वह 7.5 एच.पी. की विद्युत मोटर के द्वारा अर्थात् 4.5 एच.पी. के अतिरिक्त भार के जरिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर खेत में अनाधिकृत रूप से सिंचाई कर रहा था, जिससे कि विभाग को 8400/- रूपए की क्षति पहुँची। उपरोक्त संबंध में अंतरिम निर्धारण किया गया। विद्युत ऊर्जा की क्षति व समझौता शुल्क सहित कुल 13,400/- रूपए जमा करने बावत् आदेश दिया गया जो कि नोटिस की एक प्रति दिनांक 19.01.2007 को रजिस्टर डॉक के द्वारा आरोपी को भेजी गई। आरोपी के द्वारा उक्त राशि जमान नहीं कराई गई जिस पर परिवादपत्र अंतर्गत धारा 135 (1) (क) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्ग न्यायालय में पेश किया गया।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 135(1)(क) विद्युत अधिनियम 2003 के तहत समरीसीट पर अपराध की विशिष्टता तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. आरोपी का धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. आरोपी को विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय है कि:-

क्या आरोपी दिनांक 26.12.2006 को दिन करीब 02:30 बजे ग्राम पिपरसाना स्थित अपने खेत में अस्थाई 3 एच.पी. के कनेक्शन पर 7.5 एच.पी. की मोटर लगाकर 4.5 एच.पी. का अतिरिक्त भार लगाकर अवैध रूप से विद्युत की चोरी करते पाए गए ?

::- निष्कर्ष के आधार:-

06. परिवादी पक्ष की ओर से उमेश शर्मा लाइन लेल्पर परिवादी साक्षी क्रमांक 1 एवं रामौतार ओझा प0सा0 2 के कथन कराए गए हैं। प्रकरण के मूल परिवादी उपयंत्री ए.के.मिश्रा के न मिल पाने के कारण उनके स्थान पर कनिष्ठयंत्री कासिमअली हेदरी प0सा0 3 का परीक्षण परिवादी की ओर से कराया गया है।

07. परिवादी साक्षी कनिष्ठयंत्री कासिमअली हेदरी जिन्होंने कि परिवादी ए.के.मिश्रा के साथ काम करना बताया है और इस आधार पर उनके द्वारा की गई कार्यवाहियों के द्वारा ग्राम पिपरसाना में आरोपी के यहाँ विद्युत चैकिंग का पंचनामा तैयार किया गया है और अंतरिम

निर्धारण प्रारूप प्र.पी. 2 का तैयार किया गया है तथा राशि जमान करने के संबंध में नोटिस भेजा गया है जो कि चैकिंग पंचनामा प्र.पी. 1, अंतिम निर्धारण आदेश प्र.पी. 2 और नोटिस की प्रति प्र.पी. 3 के ए से ए भागों पर तत्कालीन उपयंत्री ए.के.मिश्रा के हस्ताक्षर होना बताया है एवं स्पीडपोस्ट की रसीद प्र.पी. 4 होना बताया है।

08. उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह बताया है कि उनकी और ए.के.मिश्रा की पदस्थापना ग्वालियर एस. टी.एम शाखा में वर्ष 2007-08 में एक साथ रही है। वह एस.टी.एम शाखा ग्वालियर में ऑप्रेटर के पद पर पदस्थ थे। साक्षी यह भी स्वीकार किया है कि उस समय ए.के.मिश्रा की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। उन्होंने ए.के.मिश्रा के साथ 6-7 महीने काम किया है, किन्तु उपयंत्री ए.के.मिश्रा जिनकी कि मानसिक स्थिति ठीक न होना वह बता रहा है और वर्तमान साक्षी ऑप्रेटर के पर पर था जब कि ए.के. मिश्रा उपयंत्री थे। ऐसी दशा में बचाव पक्ष अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि वास्तव में वह उनके द्वारा की गई किसी लिखापट्टी या हस्ताक्षर वर्तमान साक्षी के द्वारा देखा गए हो जिस आधार पर वह उनके हस्ताक्षरों की पहचान कर रहा है यह विचारणीय है। निश्चित तौर से वर्तमान साक्षी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी सुधरसिंह को धारा 56 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था।

09. प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी उमेश शर्मा प0सा0 1 तथा रामौतार प0सा0 2 जो कि दोनों ही विद्युत विभाग के लाइन हेल्पन के पद पर पदस्थ थे के साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त दोनों साक्षीगण के द्वारा चैकिंग की कार्यवाही होना जो कि चैकिंग के दौरान आरोपी के द्वारा 3 एच.पी. की मोटर के स्थान पर 7.5 एच.पी. की मोटर चलाए जाने और इस संबंध में पंचनामा प्र.पी. 1 बनाया जाना और उस पर ए से ए भाग पर उमेश शर्मा और बी से बी भाग पर रामौतार ओझा के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

10. साक्षी उमेश शर्मा चैकिंग के समय गांव के अन्य दो चार लोग मौजूद होना बता रहा है और यह भी बताया है कि तीन सौ मीटर की दूरी से तार डाला गया था। कनिष्ठयंत्री ने कहा था कि यहाँ विरोध हो सकता है इसलिए तार की जप्ती नहीं की थी। जबकि इस संबंध में अन्य परिवादी साक्षी रामौतार ओझा प्रतिपरीक्षण में यह बता रहा है कि उस समय चैकिंग के दौरान वहाँ पर कोई अन्य आदमी मौजूद नहीं था और स्पष्ट रूप से यह बताया है कि तार एवं मोटर की जप्ती का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस प्रकार परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्षियों के कथन परस्पर विरोधाभासी होना स्पष्ट है।

11. यह उल्लेखनीय है कि घटनास्थल पर जब गांव के अन्य लोग मौजूद थे तो

उनकी मौजूद होते हुए भी विद्युत विभाग के साथ में गए हुए कर्मचारी ही पंचनामा पर साक्षी बनाए गए हैं, अन्य किसी भी स्वतंत्र साक्षी को साक्षी नहीं बनाया गया है। परिवादी के प्रकरण की सम्पुष्टि हेतु मौके से तार एवं मोटर की जप्ती महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता था, किन्तु ऐसी कोई भी जप्ती नहीं की गई थी। इस प्रकार कोई सम्पुष्टि कारक साक्ष्य भी मौजूद नहीं है।

12. यह भी उल्लेखनीय है कि चैकिंग की कार्यवाही के समय आरोपी उपस्थित होना बताया जा रहा है और उसके द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करना बताया जा रहा है, किन्तु वास्तव में आरोपी घटनास्थल पर निरीक्षण के समय मौजूद था ऐसा कहीं भी प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है। ऐसी दशा में उपरोक्त संबंध में परिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर चैकिंग की कार्यवाही एवं आरोपी के द्वारा अधिक पावर की मोटर चलाकर विद्युत चोरी करने के संबंध में परिवादी के प्रकरण की पुष्टि प्रमाणित होनी नहीं पाई जाती है।

13. अतः परिवादी का वर्तमान प्रकरण आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुये आरोपी को आरोपित अपराध धारा 135 (1)(क) विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विद्युत
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विद्युत
गोहद जिला भिण्ड